# मेरा वोट, मेरा अधिकार

## हम SIR प्रक्रिया का समर्थन नहीं करते

## एक अवैध, असंवैधानिक और मताधिकार-वंचित करने वाली प्रक्रिया

### नागरिकों पर थोपा गया एक बोझ

'स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन' (SIR) को हम पर जबरदस्ती थोपा गया है। एक जिम्मेदार नागरिक समूह के तौर पर हम यह प्रशिक्षण इसलिए दे रहे हैं ताकि आपको वे साधन मिल सकें जिनसे आप इस असंवैधानिक बाधा के खिलाफ अपने अधिकारों की रक्षा कर सकें। हम इसके खिलाफ खड़े हैं, इसके पक्ष में नहीं।

### भ्रम बनाम वास्तविकता

- **दावा:** "कोई भी योग्य मतदाता न छूटे।"
- **वास्तविकता:** हम लोगों ने संविधान की अवहेलना होते देखी है। फर्जी हस्ताक्षरों के आधार पर नाम हटाए जा रहे हैं; स्थानीय अधिकारियों को दरकिनार करते हुए बाहरी, केंद्रीय स्रोतों से नोटिस भेजे जा रहे हैं; और नाम हटाने के कारणों को जनता से छिपाया जा रहा है।
- **असली निशाना:** अचानक और बड़े पैमाने पर की जा रही यह छंटनी इस पूरी साजिश को पूरी तरह से बेनकाब कर देती है: इसका असली मकसद अल्पसंख्यकों, SC/STs और वंचित समुदायों को जान-बूझकर उनके मताधिकार से वंचित करना है। यह हमें मध्ययुगीन तौर-तरीकों की दिशा में ले जाने वाला कदम है।

### राज्य की असफलताओं का बोझ आपके कंधों पर

- **मनगढ़ंत गलतियां:** "तार्किक विसंगतियां," गलत वर्तनी, और बेमेल जानकारी ECI के अपने सिस्टम की देन हैं, न कि मतदाता की। फिर भी, इन प्रशासनिक गलतियों का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर नाम हटाने के बहाने के तौर पर किया जा रहा है।
- **राजनीतिक दखल:** मतदाता सूची अपडेट करने की प्रक्रिया में राजनीतिक दलों को आधिकारिक रूप से शामिल करना व्यवस्था को गड़बड़ करती है और स्वतंत्र मतदाता को अवैध रूप से राजनीतिक नियंत्रण में ला देता है।

**घबराएं नहीं। हार न मानें। हम मिलकर इस थोपी गई प्रक्रिया का सामना करेंगे और मतदाता सूची में अपना नाम बनाए रखने के अपने संवैधानिक अधिकार को सुरक्षित करेंगे।**

# मेरा वोट, मेरा अधिकार

## मैं अपने वोट को सुरक्षित कैसे रखूं?

**क्या आपको SIR नोटिस मिला है? घबराएं नहीं। तुरंत कार्रवाई करें!**
**आपका वोट आपका अधिकार है। इसकी रक्षा करें।**

यदि आपको संबंधित BLO के माध्यम से चुनाव आयोग से 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (SIR) का नोटिस प्राप्त हुआ है, तो इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि आपने अपनी नागरिकता अथवा अपना मताधिकार खो दिया है।

इसका सीधा सा मतलब यह है कि प्रशासन को आपके विवरणों का सत्यापन करने की आवश्यकता है।

**आपको तुरंत ये कदम उठाने चाहिए:**

1. **समय-सीमा पढ़ें:** नोटिस पर छपी अपनी सुनवाई की सही तारीख और समय देखें।

2. **अपने दस्तावेज इकट्ठा करें:** आपको 20 साल पुराने ऐसे कागजों की जरूरत नहीं है जिन्हें ढूंढ़ना नामुमकिन हो। आज ही अपने मौजूदा पहचान-पत्र और जो भी दस्तावेज आपके पास उपलब्ध हैं, उन्हें इकट्ठा करना शुरू कर दें।

3. **इसे नजरअंदाज न करें:** नोटिस का जवाब न देने या सुनवाई में शामिल न होने पर, आपका नाम 'अंतिम मतदाता सूची' (Final Electoral Roll) से अपने-आप हटा दिया जा सकता है।

# मेरा वोट, मेरा अधिकार

## मैं अपने वोट को सुरक्षित कैसे रखूं?

### आपको नोटिस क्यों मिला?
### कारण को समझना

**नौकरशाही को समझना**
मतदाताओं को आमतौर पर दो मुख्य कारणों में से किसी एक की वजह से SIR नोटिस मिलता है।
अपना कारण जानना आपको इसका सामना करने में मदद करता है:

- **कारण 1: "अनमैप्ड" सिस्टम का सॉफ्टवेयर आपके मौजूदा वोटर ID (EPIC) को 2002-2004 की पुरानी वोटर लिस्ट में आपके माता-पिता या दादा-दादी के नाम से ऑटोमैटिकली लिंक नहीं कर सका।**

- **कारण 2: "लॉजिकल अंतर" सॉफ्टवेयर ने आपके डेटा में एक छोटी सी गलती को चिन्हित किया, जैसे कि आपके सरनेम में स्पेलिंग का गलत होना, आपके और आपके माता-पिता के बीच 50 साल से ज्यादा उम्र का रिकॉर्ड किया गया अंतर, या एक गार्जियन के तहत छह से ज्यादा परिवार के सदस्य लिस्टेड होना।**

**एक्शन:** इन छोटी-मोटी तकनीकी गलतियों को ठीक करने के लिए, सुनवाई के दौरान अपने सही और वैध पहचान-पत्र साथ ले जाएं।

**याद रखें:** बिना जांचे-परखे सॉफ्टवेयर और अन्य तकनीकी उपकरणों के इस्तेमाल के कारण बड़े पैमाने पर गलतियां/विसंगतियां सामने आई हैं। इसलिए, हो सकता है कि आप भी इस व्यवस्थागत चूक का शिकार बन गए हों!

# मेरा वोट, मेरा अधिकार

## मैं अपने वोट को सुरक्षित कैसे रखूं?

### सुप्रीम कोर्ट का आदेश: आपका आधार मान्य है!

पुराने दस्तावेजों के लिए आपको परेशान नहीं किया जा सकता।

SIR के शुरुआती चरणों के दौरान, अधिकारियों ने दशकों पुराने कागजात की मांग की थी और आधार कार्ड स्वीकार करने से मना कर दिया था।
सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर रोक लगा दी है।

- **कानून (8 सितंबर, 2025 और 19 जनवरी, 2026 का आदेश):** सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को साफ तौर पर निर्देश दिया है कि वह पहचान के सबूत के तौर पर और संशोधित मतदाता सूची में शामिल होने के लिए आधार कार्ड को एक वैध "12वें दस्तावेज" के रूप में स्वीकार करे, साथ ही माध्यमिक (कक्षा-10) का एडमिट कार्ड या पास सर्टिफिकेट भी (सुप्रीम कोर्ट द्वारा 19.01.2026 के आदेश के तहत अनिवार्य)।

- **आपका अधिकार:** यदि कोई बूथ लेवल अधिकारी (BLO) या निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी (ERO) आपका आधार कार्ड स्वीकार करने से मना करता है, तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश की याद दिलाएं।

**एक्शन:** सुप्रीम कोर्ट के 8 सितंबर, 2025 और 19 जनवरी, 2026 के आदेशों की एक प्रति अपने साथ ले जाएं! इसके अलावा, कृपया ECI के 9 सितंबर, 2025 [सं. 23/2025-ERS/VOL. II] के आदेश की एक प्रति भी साथ ले जाएं।

# मेरा वोट, मेरा अधिकार

## मैं अपने वोट को सुरक्षित कैसे रखूं?

### स्वीकार्य दस्तावेजों की आधिकारिक सूची

**अपनी सुनवाई के लिए, इन वैध प्रमाणों में से किसी की भी स्व-प्रमाणित प्रतियां अपने साथ लाएं।**

**सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के कारण, स्वीकार्य दस्तावेजों की सूची का विस्तार किया गया है। इस सांकेतिक (और पूर्ण नहीं) सूची में निम्नलिखित शामिल हैं:**

1. किसी भी केंद्र सरकार/राज्य सरकार/PSU के नियमित कर्मचारी/पेंशनभोगी को जारी किया गया पहचान पत्र/पेंशन भुगतान आदेश।
2. भारत में सरकार/स्थानीय अधिकारियों/बैंकों/डाकघर/LIC/PSU द्वारा 01.07.1987 से पहले जारी किया गया कोई भी पहचान पत्र/प्रमाण पत्र/दस्तावेज।
3. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र।
4. पासपोर्ट।
5. मान्यता प्राप्त बोर्डों/विश्वविद्यालयों द्वारा जारी मैट्रिक/शैक्षिक प्रमाण पत्र।
6. सक्षम राज्य प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी निवास प्रमाण पत्र।
7. वन अधिकार प्रमाण पत्र।
8. OBC/SC/ST या सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी कोई भी जाति प्रमाण पत्र।
9. नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर (जहां भी यह मौजूद है)।
10. राज्य/स्थानीय अधिकारियों द्वारा तैयार किया गया परिवार रजिस्टर।
11. सरकार द्वारा कोई भी भूमि/मकान आवंटन प्रमाण पत्र।
12. आधार के लिए, आयोग के निर्देश जो पत्र संख्या 23/2025-ERS/Vol.II दिनांक 09.09.2025 (परिशिष्ट II) के माध्यम से जारी किए गए हैं, लागू होंगे। **(नोट: इसे बिहार SIR में स्वीकार नहीं किया गया था)**
13. माध्यमिक (कक्षा-10) प्रवेश पत्र या उत्तीर्ण प्रमाण पत्र (SC द्वारा दिनांक 19.01.2026 के आदेश के माध्यम से अनिवार्य किया गया)

# मेरा वोट, मेरा अधिकार

## मैं अपने वोट को सुरक्षित कैसे रखूं?

### उम्र के हिसाब से नियम: आपको किन दस्तावेजों की जरूरत है?

अपनी सुनवाई से पहले अपना जन्म वर्ष जांच लें!

चुनाव आयोग को आपके जन्म के समय के आधार पर अलग-अलग तरह के दस्तावेज़ों की जरूरत होती है।
ध्यान से पढ़ें:

- **1 जुलाई, 1987 से पहले जन्मे लोग:**

आपको अपनी जन्म तिथि और जन्म स्थान साबित करने के लिए सिर्फ अपना एक मान्य दस्तावेज देना होगा।

- **1 जुलाई, 1987 से 2 दिसंबर, 2004 के बीच जन्मे लोग:**

आपको अपने साथ-साथ अपने पिता या अपनी माता का भी मान्य दस्तावेज देना होगा।

- **2 दिसंबर, 2004 के बाद जन्मे लोग:**

आपको अपने साथ-साथ अपने पिता और अपनी माता, तीनों के मान्य दस्तावेज देने होंगे।

(नोट: अगर माता-पिता भारतीय नागरिक नहीं हैं, तो अपने जन्म के समय के उनके वैलिड पासपोर्ट और वीजा की कॉपी दें)।

# मेरा वोट, मेरा अधिकार

## मैं अपने वोट को सुरक्षित कैसे रखूं?

### कहां जमा करें?

### आपके पास स्थानीय पहुंच है!

अपने वोट की रक्षा के लिए आपको दूर तक सफर करने की जरूरत नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट (दिनांक 19 जनवरी, 2026 का आदेश) ने मतदाताओं को होने वाली भारी कठिनाइयों को स्वीकार किया और विकेंद्रीकरण का आदेश दिया।

- **स्थानीय स्तर पर जमा करें:** आपको कानूनी तौर पर यह अनुमति है कि आप अपने दस्तावेज और आपत्तियां अपने स्थानीय ग्राम पंचायत भवनों, ब्लॉक/तालुका कार्यालयों, या शहरी वार्ड कार्यालयों में जमा करें।

- **सार्वजनिक प्रदर्शन:** प्रभावित व्यक्तियों की सूचियां (नोटिस) इन स्थानीय कार्यालयों में जनता के देखने के लिए प्रदर्शित की जानी अनिवार्य हैं।

- **रसीद की मांग करें:** आपके दस्तावेज प्राप्त करने वाले अधिकारी को आपको एक प्रमाणित रसीद देना अनिवार्य है, और साथ ही यह भी आधिकारिक रूप से प्रमाणित करना होगा कि सुनवाई की गई थी।

**अपनी रसीद लिए बिना डेस्क से न जाएं!**

# मेरा वोट, मेरा अधिकार

## मैं अपने वोट को सुरक्षित कैसे रखूं?

### क्या आप सुनवाई में शामिल नहीं हो सकते?
### एक प्रतिनिधि भेजें!

क्या आप एक प्रवासी मजदूर हैं, बुज़ुर्ग हैं, या अपनी नौकरी छोड़कर नहीं जा सकते?

सिर्फ इसलिए कि आप सुनवाई में खुद मौजूद नहीं हो सकते, आपको अपना वोट खोने की जरूरत नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट ने आपके प्रतिनिधित्व के अधिकार को सुरक्षित किया है (19 जनवरी, 2026 का आदेश)।

- आपको खुद उपस्थित होने की ज़रूरत नहीं है।
- आप अपने दस्तावेज जमा कर सकते हैं और किसी अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से अपनी बात रख सकते हैं।
- यह प्रतिनिधि आपके परिवार का कोई भरोसेमंद सदस्य, कोई सामुदायिक नेता, या किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल का बूथ स्तरीय एजेंट (BLA) हो सकता है।
- **आवश्यकता:** आपको अपने प्रतिनिधि को एक 'अधिकार पत्र' (Authority Letter) देना होगा। इस पत्र पर या तो आपके हस्ताक्षर होने चाहिए या उस पर आपका अंगूठे का निशान होना चाहिए।

# मेरा वोट, मेरा अधिकार

## मैं अपने वोट को सुरक्षित कैसे रखूं?

### नकली "फॉर्म-7" से सावधान रहें

**क्या आप फर्जी शिकायत के शिकार हुए हैं? डटकर मुकाबला करें!**

कई राज्यों में, गलत इरादे वाले लोग गलत तरीके से फॉर्म-7 का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि वे गलत आपत्तियां दर्ज कर सकें और दावा कर सकें कि असली वोटर "मर चुके हैं," "माइग्रेट हो चुके हैं," या "असली नहीं हैं।"

- **यह एक अपराध है:** 'जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950' की धारा 31 के तहत, किसी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची से हटवाने के लिए झूठा बयान देना एक दंडनीय अपराध है। शिकायतकर्ता को एक साल तक की जेल, भारी जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं।

- **आपकी कार्रवाई:** यदि आपको किसी आपत्ति के आधार पर नाम हटाने का नोटिस मिलता है, तो ERO/BLO से शिकायतकर्ता का विवरण मांगें। अपनी बात पर डटे रहें, अपने दस्तावेज पेश करें और अधिकारियों को चेतावनी दें कि यह शिकायत मनगढ़ंत है।

# मेरा वोट, मेरा अधिकार

## मैं अपने वोट को सुरक्षित कैसे रखूं?

### किरायेदारों और प्रवासियों के लिए:
### अपने वोट की रक्षा करें!

**क्या आप पुराने डेटा या मकान मालिक के सहयोग के बिना संघर्ष कर रहे हैं?**

**यदि आप किराए के घर में रहते हैं, तो हो सकता है कि आपके पास उस विशिष्ट क्षेत्र का 2003 का पुराना डेटा न हो; या हो सकता है कि आपका मकान मालिक आवास प्रमाण पत्र (DOMICILE CERTIFICATE) के लिए मकान के किराए/टैक्स की रसीदें देने से मना कर दे।**

- **हार न मानें:** अपनी सुनवाई के लिए जरूर जाएं।
- **अपने दस्तावेज पेश करें:** अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, या अपना मौजूदा वोटर ID (EPIC) जमा करें।
- **तथ्य बताएं:** ERO को अपनी किरायेदारी का इतिहास साफ-साफ बताएं। जहां आप "आमतौर पर रहते हैं," वहां वोट देने का आपका संवैधानिक अधिकार है।
- **मदद लें:** अपने साथ जाने के लिए अपने इलाके में काम कर रहे स्थानीय नागरिक समाज के हेल्प डेस्क, ट्रेड यूनियन, या कानूनी सहायता स्वयंसेवकों से संपर्क करें।

**votefordemoc@gmail.com | info@cjp.org.in**

# मेरा वोट, मेरा अधिकार

## मैं अपने वोट को सुरक्षित कैसे रखूं?

### क्या आपका नाम हटा दिया गया था?
### अपील कैसे करें?

**लड़ाई अंतिम मतदाता सूची के साथ खत्म नहीं होती।**
**आपकी अपील का रास्ता यह है:**

**यदि आपका नाम अंतिम मतदाता सूची से गलती से हटा दिया गया है, तो उसे वापस शामिल करवाने के लिए आपके पास मजबूत कानूनी रास्ते मौजूद हैं।**

1. **पहली अपील:** ERO के फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपने जिला मजिस्ट्रेट (DM) / जिला चुनाव अधिकारी को एक लिखित ज्ञापन (Memorandum) दें।
2. **दूसरी अपील:** अगर DM इसे खारिज कर देते हैं, तो अपने राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी (CEO) से अपील करें।
3. **मुफ्त कानूनी सहायता:** सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण (DLSAs) को उन लोगों की मदद के लिए मुफ्त कानूनी सहायता और पैरालीगल वॉलंटियर जरूर उपलब्ध कराने चाहिए, जिन्हें सूची से बाहर कर दिया गया है।
4. **विशेष अपीलीय निकाय:** पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में, इन चुनौतियों की सुनवाई के लिए हाई कोर्ट के पूर्व/मौजूदा जजों का एक विशेष तंत्र बनाया गया है।
5. **पूरक सूचियां:** ECI को अंतिम सूची जारी होने के बाद भी "पूरक सूचियां" प्रकाशित करनी चाहिए।

**अगर आप अपनी अपील जीत जाते हैं, तो आपका नाम कानूनी तौर पर सूची में वापस शामिल कर लिया जाएगा!**

# मेरा वोट, मेरा अधिकार

## तानाशाही निर्णयों के खिलाफ लोकतंत्र की रक्षा

**असली एजेंडा: संविधान का उल्लंघन**
ECI, जो संविधान की ही एक रचना है, अब यह दावा कर रहा है कि वह कानून से ऊपर, विधायिका से ऊपर और न्यायपालिका से भी ऊपर है। संस्थाएं पक्षपातपूर्ण हो गई हैं, और हमें अपनी दावों पर डटे रहना होगा।

**कानून का घोर उल्लंघन:**

- **संविधान सभा की अनदेखी:** अनुच्छेद 326 और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम (RPA) 1950 की धारा 19, बिना किसी ऐतिहासिक दस्तावेज की मांग किए, वयस्क मताधिकार की गारंटी देते हैं। ECI अनुच्छेद 327 और 328 की अनदेखी कर रहा है, जिससे हमारे संविधान की मूल भावना कमजोर पड़ रही है।
- **अवैध मांगें:** बिना अनुमति के जनगणना फॉर्म बांटना नियम 8 का उल्लंघन है और 11 विशिष्ट दस्तावेजों की मांग करना ECI के सत्यापन के कर्तव्य को पूरी तरह से नागरिक पर डाल देता है, जो 1960 के नियमों के नियम 9 का उल्लंघन है।
- **आधार को खारिज करना:** पहचान पत्र के तौर पर आधार कार्ड को अस्वीकार करना RPA 1950 की धारा 23 (4,5,6) का उल्लंघन है। नागरिकता का सत्यापन करना ECI के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है।
- **बिना सुनवाई के सजा:** बिना पूरी जांच किए या मतदाता को अपनी बात रखने का उचित अवसर दिए बिना, खंड 16(1)(a) के तहत नाम हटाना, नियम 21A द्वारा दी गई सुरक्षा का खुला उल्लंघन है।

यह उस विभाजनकारी एजेंडे को पूरा करने की एक शुरुआती कोशिश है, जिसे सत्ता में बैठे लोग संविधान सभा के जरिए हासिल करने में नाकाम रहे थे।

**आपका वोट आपकी आवाज़ है। अगर हम साथ खड़े रहें, अपनी सुनवाई की मांग करें और झुकने से इनकार करें, तो कोई इसे छीन नहीं सकता। अपने गणतंत्र के लिए लड़ें!**